संख्याः– /XIV–1/2017–5(8)/2010

प्रेषक,

आर मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड,अल्मोड़ा।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 04 सितम्बर, 2017

विषयः– सहकारिता विभाग के अन्तर्गत राज्य सहकारी परिषद के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 एवं संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 के क्रम में आपके कार्यालय के पत्र संख्या–4846/नियो0/सह0परिषद/2017–18 दिनांक 15 सितम्बर, 2017 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि सहकारिता विभाग के अन्तर्गत राज्य सहकारी परिषद के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि ₹19.00 लाख के सापेक्ष पूर्व में निर्गत धनराशि ₹6.33 लाख को घटाते हुए वर्तमान में अवशेष धनराशि **₹12,67,000.00 (₹बारह लाख सड़सठ हजार मात्र)** के व्यय हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रतिमाह की 5 तारीख तक बी0एम0–5 प्रपत्र पर ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा बी0एम0 13 प्रपत्र पर 20 तारीख तक विभागाध्यक्ष द्वारा उक्त सूचना वित्त विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को समय से सूचना भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

2– उक्त स्वीकृति के अधीन व्यय चालू वित्त वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–18 के लेखाशीर्षक–2425–सहकारिता–राजस्व–00–800–अन्य व्यय–20–सहकारी परिषद का गठन एवं संचालन–00–मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3– उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च 2017 एवं संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा दिये गये विस्तृत दिशा निर्देशों के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक–आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(आर मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या:–1343(1)/XIV–1/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. वित्त–4/नियोजन/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी परिषद, देहरादून (द्वारा निबन्धक)।
5. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी0एस0 बोरा)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Co-operative (S005)

संख्या - 1343/xiv-1/2010-5(8)/2010

अलोटमेंट आई डी - S1710180014

अनुदान - 018

आवंटन पत्र दिनांक - 04-Oct-2017

HOD Name - Registrar Co-operative Societies (2371)

लेखा शीर्षक 2425 - सहकारिता 00 -

800 - अन्य व्यय

20 - सहकारी परिषद का गठन एवं संचालन

00 - शहकारी परिषद का गठन एवं संचालन

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	633000	1267000	1900000
	633000	**1267000**	**1900000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 1267000